भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाउस' राजस्व कॉलोनी के पास,
नीमच (म.प्र.) 458441

Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,
Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030 FAX- 07423-220077/220099 e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

F.No. I(22)3/Adm/CCTV/2019- Dated : 12.03.2019

::संशोधित निविदा ::

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी निविदा दिनांक 07.03.2019 में आंशिक परिर्वतन करते हुए संशोधित निविदा निम्नानुसार जारी की जाती है।

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के कुल 8 विभिन्न तौल केन्द्रों नीमच, सिंगोली, मनासा, सीतामउ, मन्दसौर, जावरा, दूधाखेड़ी(गरोठ) पर माह अप्रैल 2019 के प्रथम सप्ताह से लगभग 20 दिनों या कम दिनों के लिए अफीम तौल का कार्य होना संभावित हैं, जिसमें होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जन साधारण को दर्शाने के लिए तथा सर्वर नेटवर्क रिकार्डिग एवं मुख्यालयों (नीमच व ग्वालियर) पर सीधे प्रसारण हेतु क्यूब कैमरो को उपरोक्त विभिन्न तौल केन्द्रो पर लगाया जाना है। प्रत्येक तौल केन्द्र पर 8 क्यूब कैमरे लगाये जायेंगे, जिनकी संख्या घटाई व बढाई भी जा सकती है। इस हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मो को प्राथमिकता दी जावेगी। **लगाए जाने वाले कैमरे निम्नलिखित विशिष्टी से कम नहीं होनी चाहिए।**

क्रं. सं.	नाम उपकरण		Specifications
1	Cube Camera	I.	Picture HD quality (4 Mega Pixel), VGA Lences Min. Image resolution 640x480 Frame rate 50 Hz:25 fps (640x480), 60 Hz:30 fps (640x480) Shutter time 1/25S-1/100,000s, with audio output, Wi Fi enable OR
		II.	Any other latest or better version
2	Server box		Minimum 8 video & audio input network enable, Wi Fi, Storage capacity for at least 1 month
	The above camera & the server box must have U-L Certification i.e. Electrical device under electrical business equipment tested & passed by approved laboratory		

निविदा में जिसमें दो प्रकार की बोलियां आवश्यक रूप से हों:

(1) तकनीकि बोली : फर्म का नाम, फर्म के मालिक का नाम, पूरा पता, फोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ई–मेल, बैंक का नाम, पता, IFSC, अकाउन्ट नम्बर व अकाउन्ट होल्डर का नाम, जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजियन प्रमाणपत्र, PAN की छायाप्रति, शासकीय क्षेत्र में उक्त कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करें एवं साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो कि कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों पर कार्य अवधि के दौरान उपलब्ध रहेंगे।

(2) वित्तीय बोली : प्रति कैंमरा प्रति दिन का किराया (विडियो रिकॉर्डर (एन.वी.आर) के किराये एंव अन्य समस्त व्यय जैसे ऑपरेटर चार्ज, जी.एस.टी. इत्यादि शामिल करते हुए) दर्शाएं।

(3)न्यूनतम दर देने वाली फर्म को दिनांक 25.03.2019 को समय 15.00 बजे उनके पास उपलब्ध आवश्यक उपकरण जैसे कैमरे (64) व विडियो रिकार्डर (एन.वी.आर) (08) का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। न्यूनतम दर समान होने पर नवीनतम तकनीक (Latest Technology) के उपकरण वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि फर्म उपरोक्त आवश्यक उपकरणों का भौतिक सत्यापन करवाने में असफल होती है तो द्वितीय न्यूनतम दर देने वाली फर्म को आमन्त्रित किया जावेगा।

निरन्तर.......2.....

नियम एवं शर्ते

1. उपरोक्त क्यूब कैमरों को माह अप्रैल में, विभिन्न तौल केन्द्रों पर संबंधित जिला अफीम अधिकारी के निर्देशानुसार, निविदादाता द्वारा स्थापित करना होगा। निविदादाता को कैमरों एवं सर्वर बाक्स सहित इनको स्थापित करने में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं संसाधन स्वयं उपलब्ध कराने होंगे, आधुनिक कम्प्यूटर के अलावा किसी भी प्रकार का कोई उपकरण एवं संसाधन विभाग द्वारा देय नहीं होगा, ना ही इसके लिए अलग से कोई चार्ज देय होगा। उक्त कैमरों को लगातार 24 घण्टे चालू रखने एवं रिकार्डिंग हेतु आवश्यक सहायक/सहायकों, जिन्हें इस संबंध में पूर्ण जानकारी हो, निविदादाता को लगातार अफीम तौल केन्द्रों पर उपलब्ध कराने होंगे, जिसका कोई अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा। समस्त कैमरों को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) नियमित चलाने, रिकार्डिंग एवं लाईव प्रसारण की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी।
2. निविदा प्रति कैमरा प्रतिदिन मय सर्वर बाक्स एवं सभी उपकरण संसाधनों को सम्मिलित करते हुये देनी होगी, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु क्यूब कैमरों की निविदा" अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (tax) आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
3. सभी केन्द्र पर लगाये गये कैमरों द्वारा सीधा प्रसारण एच.डी. क्वालिटी में होना आवश्यक है।
4. सीधा प्रसारण की रिकार्डिंग सुविधा मुख्यालयों पर भी उपलब्ध करवानी होंगी।
5. लिफाफा बन्द निविदा दिनांक 18.03.2019 को 11:00 बजे तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन दिनांक 18.03.2019 को 15:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
6. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रू. 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
7. निविदादाता को दैनिक रूप से रिकार्डिंग की ऑडियो एवं वीडियों सी.डी./डी.वी.डी. जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, तैयार कर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देनी होगी।
8. यदि कोई भी कैमरा खराब/बंद होता है तो उसे तुरन्त चलाना/बदलना होगा।
9. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
10. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
11. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)